FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

[illegible] राम .... बनाम .... [illegible]

किस्म मुकदमा .... [illegible] .... नं. 33/2005

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27-4-23	[illegible] 04-05-23
04-05-23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20-04-2023 को पेश किए गए प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेशिका का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते ~~[illegible]~~ बहस पत्रावली दिनांक 17-05-23 को पेश हो।
17.05.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से दिनांक 25.01.2023 को प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वकील वादी ने वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति लिखित में अंकित करते हुए अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.06.02 10:20:30 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

v881

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2005	2005 / 073	30.04.2005	17.05.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

चन्द्राराम पुत्र बोदुराम मृतक के बजाय–: –

छाजूलाल दत्तक पुत्र चन्द्राराम आयु 43 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––वादी

बनाम्

1. शिवपाल पुत्र टोडाराम आयु 70 वर्ष
2. गोपीराम पुत्र टोडाराम आयु 68 वर्ष
3. नानूराम पुत्र टोडाराम आयु 65 वर्ष
4. भोलाराम पुत्र टोडाराम आयु 60 वर्ष
5. रामेश्वर पुत्र टोडाराम आयु 55 वर्ष
6. बंशी पुत्र टोडाराम आयु 50 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बल्डवाल तन् ग्राम नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 अभिभाषक।

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2273/0.35, 2274/0.96, 2276/1.47 कुल किता 3 कुल रकबा 2.78 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में वादी के 1/2 हिस्से की व 1/2 हिस्से की प्रतिवादीगण 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। विवादित वर्तमान भूमि ख0न0 2273, 2274, 2276 तन ग्राम नांगल नाथूसर का गत ख0 न0 2062 क्षैत्रफल 10 बीघा 12 बिस्वा था। जिसके 1/2 भाग का वादी शेष 1/2 भाग का एक व्यक्ति नानूड़ा पुत्र ज्ञाना जाट खातेदार था। उक्त वर्णित भूमि गत ख0 न0 2062 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा तन ग्राम नांगल नाथूसर का वादी व 1/2 भाग के खातेदार नानूड़ा पुत्र ज्ञाना जाट ने अस्थायी तौर पर बिना नपती किये अन्दाज से आपसी बंटवारा किया था। जिसके अनुसार उक्त नानूड़ा उत्तरी साईड की भूमि काश्त करने लग गया व वादी दक्षिणी भाग की भूमि काश्त करने लग गया। नानूड़ा ने वर्तमान भूमि ख0 न0 2273, 2274, 2276 के गत ख0 न0 2062 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 भाग के खातेदारी हक प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को दिनांक 07.05.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिये। वादी के कब्जे की भूमि के वर्तमान ख0 न0 2273, 2274 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के कब्जे की भूमि का ख0 न0 2276 है। वर्तमान में वादी के कब्जे की भूमि का खसरा नम्बर 2276 है। [illegible] भूमि का ख0न0 2273, 2274 कुल क्षैत्रफल का 1/2 नही है। वादी बंटवारा [illegible]कर अपने 1/2 भाग की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Pethore
12/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड

कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण की भूमि ख0 न0 2273, 2274, 2276 मे आवागमन का हमेशा से रास्ता सरकारी भूमि ख0 न0 2270 मे होकर है, जो कुल विवादित आराजीयता ख0 न0 2273, 2276 की पूर्वी सींव से लगती हुयी है। वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 6 ढाणी ख0 न0 2734 में आबाद है, जो विवादित आराजीयात से उत्तरी पूर्वी मे स्थित है। जहां से चलकर पक्षकार आवागमन करते है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि ख0 न0 2273 व 2274 को निरन्तर काबिज काश्त करते हुये काफी मेहनत व पैसा लगाकर उपजाऊ व समतल बनाकर काश्त योग्य बना लिया है लेकिन भूमि की खातेदारी संयुक्त होने से वह अपनी भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहा है। राज्य सरकार ने एक खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सरकारी सहायता व ऋण अनुदान आदि से महरूम हो रहा है। जिससे वादी को असीम क्षति हो रही है। वादी ने प्रतिवादीगण को सदैव से ही अर्सा कदीम से हुए बाहमी बटवार के अनुसार भूमियों की खातेदारी अंकित करवाने हेतु कहा जबकि प्रतिवादीगण सदैव से ही टालमटोल करते रहे एवं अब दिगर के बहकावे में आकर व भूमि की किस्म को देखकर एवं वादी से मनमुटाव के चलते हैरान व परेशान करने की नियत से खातेदारी अलग–अलग दुरूस्त करवाने से साफ मना कर दिया व अर्सा 10–15 दिन पूर्व ऐलानियां धमकी दी कि रिकार्ड नही बदलायेगे व तेरे हिस्से की भूमि का जबरन ताकत के बल पर कब्जा करेगे एवं दिगर को बेचान कर रिकार्ड बदलवा देंगे। जिसका उनको कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है एवं यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त बैजा एवं अवैध कार्यवाहीयों में सफल हो गये तो वादी बरबाद हो जावेगा एवं उसे असीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार नही हो सकेगी। प्रतिवादीगण को न्यायहित में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमियों की खातेदारी अर्सा कदीम में हुए बाहमी बंटवार के अनुसार दुरूस्त करवाने से 10–15 दिन पहले मना करने व वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करने व दिगर को बेचान कर रिकार्ड बदलवाने की ऐलानियां धमकी देने व वादी की शांतिमय कब्जा काश्त में मजाहमत करने पर आमादा होने के कारण वादी द्वारा वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश करना लाजमी आया है। वादी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 2273/0.35, 2274/0.96, 2276/1.07 कुल रकबा 2.78 हेक्टर अवस्थित तन ग्राम नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का विधिवत तकारमा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी को भूमि ख0न0 2273/0.35, 2274/0.96 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे व कुल के 1/2 क्षैत्रफल का शेष क्षेत्रफल भूमि ख0न0 2276 में से दिया जाकर उसका खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को भूमि ख0न0 2276/1.47 है0 में से उत्तरी हिस्से की 1.39 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर एक–दूसरे के हिस्से की भूमियों से एक–दूसरे का नाम हजफ किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वादी के हिस्से की भूमि ख0न0 2273, 2274 संपूर्ण व ख0न0 2276 में से दक्षिणी साईड की 0.08 है0 तन् नांगल नाथूसर में वादी के शांतिमय कब्जा काश्त में किसी तरह की मजाहमत नहीं करे, ना ही वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करें। प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 के नाम उपरोक्त भूमियो का बंटवारा अनुसार अलग से बट्टा नम्बर डाले जाकर नक्शे मे तरमीम करायी जाकर वादी का लगान भी अलग कायम किया जाकर अलग–अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 की ओर से श्री रामावतार सैनी, प्रथम एडवोंकेट ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 के सम्मन नोटिस की तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र पेश किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से संशोधित जवाब दावा पेश किया। इसके उपरान्त प्रकरण में तनकीयात कुल बिन्दु 3 का[illegible] की [illegible]र साक्ष्य वादी ली गई। साक्ष्य वादी में वादी छाजूलाल दत्तक पुत्र [illegible] जाखड़ पुत्र रामनाथ जाखड़ व शिवसिंह पुत्र भोपालसिंह के लिखितशुदा शपथ [illegible] पेश हुये। प्रकरण के जिरह में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23
दिलीप सिं[illegible]

विचाराधीन रहने के दौरान प्रकरण का आपसी सहमति से निस्तारण करने की भावना से पक्षकारान् से आपसी समझाईस दिनांक 18.08.2022, 28.09.2022, 13.10.2022 एवं 20.10.2022 को खुले न्यायालय में की गई। इसी दौरान वकील प्रतिवादीगण श्री रामावतार सैनी प्रथम एडवोकेट ने प्रकरण में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमि का पीठासीन अधिकारी के स्वंय के द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्षकारान् व उनके अधिवक्तागणो की सहमति से दिनांक 21.10.2022 को पटवारी हल्का नांगल व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मऊ एंव पक्षकारान् वादी छाजूलाल दत्तक पुत्र मन्नाराम व प्रतिवादी सोजीराम, नानूराम, भोलाराम, रामेश्वर पुत्रगण टोडाराम व गवाहान् श्रवण सिंह शामोता, मन्नालाल व सौथमल की उपस्थिति में मौका निरीक्षण के दौरान उभय पक्षकारान् को संतुलित रूप से बंटवारा किये जाने हेतु आपसी समझाईस की गई तथा प्रकरण में बाद समझाईस खसरा नम्बर 2273 रकबा 0.35 हैक्टर, 2274 रकबा 0.96 हैक्टर व 2276 रकबा 1.47 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.78 हैक्टर जिन्हे पूर्व–पश्चिम लम्बाई में बंटवारा कर सम्पूर्ण रकबे का 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हिस्से में तथा सम्पूर्ण रकबे का 1/2 हिस्सा दक्षिणी तरफ का वादी के बंटवारें में रखे जाने हेतु दोनों पक्ष सहमत हुए व उक्त भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उक्त खसरा नम्बरान् के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 2270/1 (गैर मुमकीन नदी) जिसमें से होकर प्रचलित रास्ता है में से होकर रास्ता सार्वजनिक आवागमन हेतु व पक्षकारान् हेतु रास्ता के रूप में काम में लेने हेतु सहमति प्रदान की। इस बाबत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में भी पक्षकारान् व गवाहान् के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मौके पर ही करवाये गये तथा इस बाबत मौके पर उपस्थित पटवारी हल्का नांगल व भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त मऊ से फर्द मौका तहरीर अलग से बनाई गई जिस पर भी पक्षकारान् व उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगवाई गई। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। पक्षकारान् व उनके अधिवक्तागणों के द्वारा उनके मध्य बनी सहमति के अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमियो का वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रति[illegible]गायत 6 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से [illegible] सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु प्रकरण में प्राथमिक [illegible] किये जाने हेतु अपनी अपनी सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

व्यक्त करते हुए बकुलाव उभय पक्षकारान् ने पत्रावली की आदेशिका पर भी अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है। जिस पर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.10.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.10.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2481/रीडर/2022 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 12/भू.अ./2022 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण में दिनांक 02.02.2023 को प्रतिवादीगण गोपीराम, भोलाराम द्वारा यह अंकन दर्ज किया गया कि हमारी दोनों पक्षों की खातेदारी भूमि ख0न0 2273, 2274, 2276 के पूर्वी दिशा से उत्तर–दक्षिण 15 फुट चौडाई भूमि का रास्ता कायम कर शेष भूमि का विभाजन करने हेतु सहमति प्रकट की। जिसका वकील वादी द्वारा दिनांक 20.04.2023 को प्रार्थना प[illegible] एतराज आदेशिका दिनांक 02.02.2023 का पेश किया। जिसमें [illegible] प्रार्थना पत्र एतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

आदेशिका का पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा दिनांक 21.10.2022 को उपरोक्त मौका निरीक्षण द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष यह सहमति प्रदान लिखित में दी थी कि भूमि खसरा नं0 2271, 2274, 2279 कुल किता–3 कुल रकबा 2.73 है0 तन ग्राम नांगल(नाथूसर) के पूर्वी पश्चिमी टुकड़े 1/2–1/2 हिस्सा करते हुये उत्तरी तरफ का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण के व दक्षिणी तरफ का आधा हिस्सा वादी के बंटवारे में रखकर बंटवारा करने हेतु सहमति प्रदान कर दी थी तथा रास्ता उक्त बंटवारा करने हेतु सहमति प्रदान कर दी थी तथा रास्ता उक्त भूमियों से पूर्वी तरफ गैरमुमकिन नदी खसरा नं0 2270/1 प्रचलित रास्ते से रहेगा उपरोक्तानुसार न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री प्रस्ताव भिजवाया जा चुका हैं। जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं। इससे बावजूद भी प्रतिवादी नाथूराम व मोलाराम ने वादी की कृषि भूमि को बेवजह बरबाद करने की नियत से पुनः उक्त भूमियों में से 15 फीट की चौडाई का रास्ता काटने हेतु आदेशिका दिनांक 02.02.2023 पर हस्ताक्षर कर रास्ता कटवाना चहते हैं, जो कतई न्यायोचित नहीं हैं, क्योंकि उपरोक्त भूमियों के सटाकर पूर्वी तरफ गैरमुमकिन नदी पाट हैं। जिसमें से होकर रास्ता पिछले 50 वर्षों से प्रचलित होकर रास्ता चालू हैं, उक्त रास्ता मुख्य सडक रतनपुरा नांगल से उत्तरी तरफ होता हुआ रास्ता मिण्डा वाला जोड़ा तक जाता हैं। जो त्रिलोकपुरा रोड़ को जोड़ता हैं, इस प्रकार मौके पर रास्ता प्रचलित हैं, जो गैरमुमकिन नदी में से होकर चालू हैं। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादी से पुरानी रंजिश निकालने की बदनियति रखते हुये वादी की भूमि को बेवजह पुरानी रंजिश निकालने की बदनियति से बरबाद करना चाहते [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में दी गयी लिखित सहमति दिनांक 21.10.2022 [illegible] के रहने बाबत अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

लिखित सहमति प्रदान की है, जिससे प्रतिवादीगण स्टोप्ड हैं। एतराज बाबत् आदेशिका दिनांक 02.02.2023 में वादपत्र दर्ज भूमियों में से पूर्वी तरफ रास्ता 15 फुट चौडाई में काटने हेतु प्रतिवादी गोपीराम, भोलाराम द्वारा दी गयी असंगत सहमति को खारिज किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया हैं। जिसका जवाब प्रार्थना पत्र एतराज वकील प्रतिवादी ने दिनांक 04.05.2023 को पेश किया, जिसमें दिनांक 20.10.2022 को पीठासीन अधिकारी के मौके पर जाकर रास्ते के बाबत प्रचलित रास्ता गैरमुमकिन नदी में से चालू नही होने व रास्ता खातेदारी भूमि ख0न0 2273 से होने के तथ्य के बाबत् पटवारी हल्का द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर तथाकथित विभाजन प्रस्ताव को अप्रार्थीगण ने अस्वीकार कर दिया था, जिस पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने का स्पष्ट अंकन हैं। तत्पश्चात् न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस स्वयं पीठासीन अधिकारी के समक्ष स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रचलित रास्ता खातेदारी भूमि ख0न0 2273 की पूर्वी दिशा से उत्तर दक्षिण 15 फुट चौडाई का होना स्वीकार करके शेष भूमि का 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन करने के सुझाव पर दोनों पक्षों के सहमत होने पर पीठासीन अधिकारी के मौखिक आदेश को अप्रार्थी गोपीराम व भोलाराम ने सहर्ष स्वीकार करके हस्ताक्षर कर दिये तथा प्रार्थी वादी छाजूराम न्यायालय से चुपचाप बाहर चला गया व अपने अधिकवक्ता को बुलाने पर भी न्यायालय में नहीं आया व अब अपनी बदनियतिपूर्ण मंशा से उक्त आवेदन पेश किया हैं। जिससे वादी छाजूराम की बदनियति स्वतः स्पष्ट हैं। वादी का आवेदन प्रकरण हाजा को वर्ष 2005 में पेश होने के बाद भी निर्णय होने से बचाने की मंशा से प्रतिवादीगण का रास्ता बंद करके प्रति[illegible] को बरबाद करने व बिन वजह मुकदमों को घसीटते रहने की हैं, जबकि प्रतिवादीगण [illegible] को शुरू से ही

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

निर्णीत करवाकर अपना बचा हुआ जीवन शांतिपूर्ण रूप से व्यतित करने की सद्भाविक मंशा से न्यायालय के सुझाव को दिनांक 02.02.2023 को स्वीकार किया हैं। खातेदारी भूमि ख0न0 2273 की पूर्वी सीमा से 15 फुट चौडाई का उत्तर दक्षिण रास्ता छोडा जाकर उक्त रास्ता ख0न0 2273 में से कायम किया जाकर शेष भूमि का विभाजन करके प्रकरण का निर्णय किये जाने का निवेदन वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र एतराज में किया हैं। बहस दरख्वास्त प्रार्थना पत्र एतराज आदेशिका पर वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकरन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि पूर्व में वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा दिनांक 15.09.2022 को आपसी समझाईश की गई, परन्तु पक्षकारान में सहमति नहीं बनने पर दिनांक 13.10.2022 को वकील प्रतिवादीगण श्री रामावतार सैनी प्रथम एडवोकेट के द्वारा पीठासीन अधिकारी के स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान की उपस्थित में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2022 को मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण पक्षकारान द्वारा 2273, 2274, 2276 कुल रकबा 2.78 है0 इन्हें पूर्व–पश्चिम लम्बाई में 1/2 वादी तथा 1/2 समस्त प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 के हिस्से में उत्तरी तरफ प्रतिवादीगण के तथा दक्षिणी तरफ वादी के बंटवारा करने हेतू दोनों पक्ष सहमत प्रदान की गई थी तथा रास्ता हेतू तीनों नम्बरों के पूर्व दिशा में गैर मुमकिन नदी 2270/1 प्रचलित रास्ता रहने बाबत दोनों पक्षों के द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। जिसके अनुसार दिनांक 21.10.2022 को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा कमांक/भू0अ[illegible]/22/12 दिनांक 10.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट मय कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो दिनांक [illegible].2023 को शामिल पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

की गई। पूर्व में दिनांक 21.10.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति विवादित भूमि ख0न0 2273, 2274, 2276 के पूर्वी तरफ स्थित गैरमुमकिन नदी ख0न0 2270/1 में से होकर ही प्रचलित रास्ता रखने बाबत दोनों पक्षों के द्वारा अपनी-अपनी सहमती प्रदान करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका में अंकन किया। इस प्रकार पक्षकारान अपने पूर्व कथन से अस्टॉप्ड(विबंधित) हैं। जवाब प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा गैर मुमकिन नदी पर रास्ता नही होने का कथन किया है जो कि सही नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर मौका निरीक्षण में विवादित खसरों के पूर्व दिशा में प्रचलित रास्ता पाया जो दो प्रमुख गांवों व आबादी को जोडता है। यद्यपि इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है लेकिन मौके पर विगत 40–50 वर्षो से प्रचलित रास्ता प्रचलन में है। बांध का डोल प्रचलित रास्ते को छोडकर बनाया गया हैं। अतः प्रतिवादीगण का यह कथन न्यायसंगत नही होने के कारण खारीज किया जाकर प्रार्थना पत्र एतराज वादी को स्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार न्यायालय के विनम्र मत के अनुसार प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रारम्भिक डिक्री प्रस्ताव के अनुसार ही अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात्, दावा, जवाब दावा व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अन्तिम व कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को आंशिक स्वीकार करते हुए अन्तिम निर्णय कर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

(11)

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 06.01.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	बंशी, रामेश्वर, श्योपाल, गोपरीम, नानूराम, मोलाराम पुत्रगण टोडाराम हिस्सा 1/2 जाजि जाट सा0 देह खातेदार गोपीराम, मोलाराम, श्योपाल का हिस्सा राहिन BRKGB नांगल, छाजूलाल दत्तक पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन BRKGB नांगल,	2273 2274 2276	0.3500 0.9600 1.4700	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	0.65 1.79 2.73
	योग खाता	किता–3	2.7800	बारानी–3	5.17

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 17/05/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :—

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. में)
1	गोपीराम पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/6 राहिन BRKGB नांगल, नानूराम पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/6 बन्शी पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/6 रामेश्वर पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/6 श्योपाल पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/6 राहिन BRKGB नांगल, भोलाराम पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/6 राहिन BRKGB नांगल समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार	2276/2 2273/2	1.3600 0.0300	बारानी–3 बारानी–3	
	योग खाता	किता–2	1.3900	बारानी–3	
2	छाजूलाल दत्तक पुत्र चन्द्राराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट राहिन BRKGB नांगल सा0 देह खातेदार	2274 2276/1 2273/1	0.9600 0.1100 0.3200	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	
	योग खाता	किता–3	1.3900	बारानी–3	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 12/भू.अ./22 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह) 17/05/23
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह) 17/05/23
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:20:30 IST
Reason: SelfAttested